25/8/23 वकील प्रार्थी उपस्थित। उक्त प्र.पत्र श्री देवेन्द्र परमार SDM भरतपुर के विरुद्ध पेश किया गया है। चूँकि पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र परमार का स्थानान्तरण SDM भरतपुर के पद से अन्यत्र हो जाने के कारण प्र. पत्र प्रभावहीन रहता है।

अतः प्र. पत्र प्रभावहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
भरतपुर